

2016 का विधेयक संख्यांक 20

**औषधि और प्रसाधन सामग्री (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016**

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

औषधि और प्रसाधन सामग्री (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम।
2. नई धारा 19क का अन्तःस्थापन।
3. धारा 22 का संशोधन।
4. धारा 23 का संशोधन।
5. धारा 36 क च का अन्तःस्थापन।

**औषधि और प्रसाधन सामग्री (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016**

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री संक्षिप्त नाम। (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

5

2. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 19 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा  
19क का  
अन्तःस्थापन।

10

"19क. सबूत का भार.—जब किसी व्यक्ति से इस युक्तियुक्त विश्वास के साथ किसी औषधि या प्रसाधन सामग्री का अभिग्रहण किया गया है कि ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री को धारा 18 के उपबन्धों के उल्लंघन में विक्रय या वितरण के लिए विनिर्मित किया जा रहा है या उसे बिक्रीत या स्टॉक में रखा या अभिदर्शित या विक्रय के लिए प्रस्थापित किया गया है या वितरित किया गया है तो यह साबित करने का भार कि ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री को धारा 18 के उल्लंघन में विक्रय या वितरण के लिए विनिर्मित या बिक्रीत या स्टॉक में रखा या अभिदर्शित या विक्रय के लिए प्रस्थापित या वितरित नहीं किया गया है, उस व्यक्ति पर होगा जिसके कब्जे से ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री का अभिग्रहण किया गया था।"

15

20

3. मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

धारा 22 का  
संशोधन।

"(ड) जहां कहीं वह आवश्यक समझे, ऐसे किसी परिसर को सील कर सकेगा जिसमें किसी औषधि या प्रसाधन सामग्री को धारा 18 के उपबन्धों के उल्लंघन में विनिर्मित, बिक्रीत या स्टॉक में रखा या अभिदर्शित किया गया है या विक्रय के लिए प्रस्थापित या वितरित किया जा रहा है।"

धारा 23 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (5) के खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

5

"(घ) यदि वह किसी परिसर को सील करता है तो वह यथाशक्यशीघ्र, अधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा।"

धारा 36 क च का अन्तःस्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 36 क ड के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

10

"36 क च. अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना.—(1) धारा 18 के खण्ड (ग) से सम्बन्धित और धारा 27 के खण्ड (ख) के उप खण्ड (ii) के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।

(2) वर्दी में कोई भी पुलिस अधिकारी, जो सहायक पुलिस उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, किसी ऐसे व्यक्ति को वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा जिसके विरुद्ध कोई युक्तियुक्त शिकायत की गई है या धारा 18 (ग) से सम्बन्धित और धारा 27 के खण्ड (ख) के उप खण्ड (ii) के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध में उसके संलिप्त होने की विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है :

15

परन्तु ऐसा पुलिस अधिकारी औषधि निरीक्षक की सहायता ले सकेगा, जैसा वह आवश्यक समझे।"

20

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

देश और राज्य के समक्ष नशा (ड्रग मिनेस) एक सामाजिक बुराई और ज्वलंत मुद्दा है जो सम्पूर्ण समाज के साथ-साथ राज्य सरकार के लिए भी एक गम्भीर चिन्ता का विषय बन गया है। युवा वर्ग द्वारा नशे के उपयोग से अपराधों में वृद्धि हो रही है और यह उनके भविष्य को भी खराब कर रहा है। कुछ समय पूर्व राज्य सरकार ने नशे (ड्रग्स) के बढ़ते उपयोग पर नियन्त्रण रखने और नशे (ड्रग्स) के दुरुपयोग को न्यूनतम सम्भव कम करने के लिए भी कदम उठाए हैं। विगत प्रमाणों (रिकार्ड) से यह पाया गया है कि मादक द्रव्यों के विक्रय के मामले में, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 18 (ग) के अधीन यथा अपेक्षित अनुज्ञप्ति धारण न करने वाले बहुत से व्यक्तियों को इसके उल्लंघन के लिए आरोपित किया गया है। चूंकि आज की तारीख में धारा 18 (ग) का उल्लंघन असंज्ञेय और जमानतीय है इसलिए औषधि नियन्त्रण प्रशासन के अधिकारियों को दोषियों को गिरफ्तार करने और आगामी जांच करने के लिए उन्हें हिरासत में रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यदि राज्य संशोधन के फलस्वरूप धारा 18 (ग) के अधीन उल्लंघन को संज्ञेय और अजमानतीय अपराध बना दिया जाता है और पुलिस अधिकारियों को औषधि निरीक्षक की सहायता से वारण्ट के बिना अपराधी को गिरफ्तार करने हेतु सशक्त किया जाता है, जैसा आवश्यक समझा गया है, तो ऐसे असामाजिक तत्व उक्त अधिनियम के अधीन प्राविधिकताओं से बच नहीं सकते। इससे औषधियों को अननुज्ञप्त हाथों में पहुंचने से बचाने में सहायता मिलेगी जिसका उपयोग केवल दुरुपयोग के लिए किया जाता है। इससे न केवल मादक द्रव्यों के बढ़ते खतरे को नियन्त्रित करने में सहायता मिलेगी अपितु नीम हकीमों (मिथ्या चिकित्सकों) और बिना अनुज्ञप्ति के चल रही अप्रमाणिक दुकानों पर भी लगाम लगेगी। इसके अतिरिक्त, औषधि नियन्त्रक को उन परिसरों को सील करने के लिए सशक्त किया जा रहा है जहां औषधियों और प्रसाधन सामग्री का अधिनियम की धारा 18 (ग) के उल्लंघन में विक्रय किया जा रहा है। आज की तारीख में सबूत का भार अभियोजन पर है और यदि स्थानीय गवाह न्यायालय में पक्षद्रोही हो जाता है तो दोषी उसका लाभ उठा लेता है। इसलिए अधिनियम के उपबन्धों को और कड़ा बनाने के आशय से सबूत का भार उस व्यक्ति, जिसके कब्जे से ऐसी औषधि का अभिग्रहण हुआ है, पर रखने के लिए नया उपबन्ध अन्तःस्थापित करने का विनिश्चय किया गया है, तद्वारा दोषी प्राविधिकताओं का लाभ लेने की स्थिति में नहीं होगा और उसे अधिक दक्षतापूर्वक पकड़ में लिया जा सकेगा।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(कौल सिंह ठाकुर)

प्रभारी मन्त्री।

शिमला :

तारीख : ....., 2016

वित्तीय ज्ञापन

-शून्य-

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

-शून्य-

(प्रकाश डाली तालिका)

किन्तु ज्ञापन

**औषधि और प्रसाधन सामग्री (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2016**

हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

(कौल सिंह ठाकुर)  
प्रभारी मन्त्री।

(डॉ० बलदेव सिंह)  
सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख : ....., 2016

इस संशोधन विधेयक द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) के उपबन्धों के उद्धरण

धाराएं :

22. निरीक्षकों की शक्तियां.—(1) धारा 23 के, और इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के, उपबन्धों के अधीन कोई निरीक्षक उस क्षेत्र की उन स्थानीय सीमाओं के अन्दर, जिसके लिए वह नियुक्त किया गया है,—

(क)(i) किसी ऐसे परिसर का, जिसमें कोई औषधि या प्रसाधन सामग्री विनिर्मित की जा रही है तथा उस औषधि प्रसाधन सामग्री के मानकीकरण और परख के लिए काम में लाए जाने वाले साधनों का निरीक्षण कर सकेगा;

(ii) किसी ऐसे सपरिसर का निरीक्षण कर सकेगा जिसमें किसी औषधि या प्रसाधन सामग्री का विक्रय या स्टॉक या विक्रय के लिए प्रदर्शन या प्रस्थापन या वितरण किया जा रहा है;

(ख) ऐसी किसी औषधि या प्रसाधन सामग्री के,—

(i) जो विनिर्मित की जा रही है, या विक्रय की जा रही है या स्टॉक की जा रही है या विक्रयार्थ प्रदर्शित या प्रस्थापित की जा रही है या वितरित की जा रही है;

(ii) ऐसे किसी व्यक्ति से, जो ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री किसी क्रेता या किसी परेषिती को प्रवाहित करने, परिदत्त करने या परिदत्त करने की तैयारी करने के अनुक्रम में है, नमूने ले सकेगा;

(ग) सब युक्तियुक्त समयों पर ऐसी सहायता के साथ, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझता है,—

(i) ऐसे किसी व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा जिसकी बाबत उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने ऐसी औषधि या प्रसाधन को अपने शरीर पर छिपाकर रखा है, जिसकी बाबत इस अध्याय के अधीन अपराध किया जा चुका है या किया जा रहा है; या



(ii) ऐसे किसी स्थान में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा जिसकी बाबत उसके पास यह विश्वास य करने का कारण है कि उसमें इस अध्याय के अधीन अपराध किया जा चुका है या किया जा रहा है; या

(iii) किसी ऐसे यान, जलयान, या अन्य सवारी को रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा, जिसकी बाबत उसके पास या विश्वास करने का कारण है कि उसका किसी ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री को वहन करने के लिए उपयोग किया जा रहा है जिसके बारे में इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किया जा चुका है या किया जा रहा है,

तथा उस व्यक्ति को जिसके कब्जे में वह औषधि प्रसाधन सामग्री है जिसके बारे में अपराध किया जा चुका है या किया जा रहा है, लिखित आदेश दे सकेगा कि वह ऐसी विनिर्दिष्ट कालावधि तक जो बीस दिन से अधिक की न होगी, ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री के किसी स्टॉक का व्ययन न करे, अथवा जब तक कि अभिकथित अपराध ऐसा न हो कि वह त्रुटि औषधि या प्रसाधन सामग्री के कब्जाधारी द्वारा दूर की जा सकती है, ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री के स्टॉक और ऐसे पदार्थ या वस्तु को अभिगृहीत कर सकेगा, जिसके जरिए वह अपराध किया जा चुका है या किया जा रहा है या जिसे ऐसे अपराध के किए जाने के लिए काम में लाया जाए;

(ग ग) किसी व्यक्ति के पास या किसी स्थान, यान, जलयान या अन्य सवारी में, जो खण्ड (ग) में निर्दिष्ट है पाए गए किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या किसी अन्य भौतिक पदार्थ की परीक्षा कर सकेगा और यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकता है तो उसे अभिगृहीत कर सकेगा;

(ग ग क) किसी व्यक्ति से किसी ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री के, जिसकी बाबत उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अध्याय के अधीन अपराध किया जा चुका है या किया जा रहा है, विक्रयार्थ या वितरणार्थ, विनिर्माण, स्टॉक रखने, विक्रयार्थ प्रदर्शन, विक्रयार्थ या वितरणार्थ प्रस्थापन से सम्बन्धित कोई अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जो इस अध्याय या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबन्ध इस अध्याय के अधीन तलाशी या अभिग्रहण को यथाशक्य वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन निकाले गए वारंट के प्राधिकार के अधीन की गई किसी तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं।

(2क) खण्ड (ग ग) के अधीन अभिगृहीत या खण्ड (ग ग क) के अधीन पेश किया गया प्रत्येक अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज उस व्यक्ति को जिससे वे अभिगृहीत किए गए थे या जिसने उन्हें पेश किया था, उनकी प्रतिलिपियां या उनमें से उद्धरणों के लिए जाने के पश्चात्, जो उस व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति से जो विहित की जाए प्रमाणित कर दिए गए हों, यथास्थिति, ऐसे अभिग्रहण या पेश किए जाने की तारीख के बीस दिन की अवधि के भीतर लौटा दिए जाएंगे।

(3) यदि कोई व्यक्ति इस अध्याय के द्वारा या अधीन किसी निरीक्षक को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उसको या किसी अभिलेख, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज को पेश करने से तब जब उपधारा (1) के खण्ड (ग ग क) के अधीन उससे ऐसा करने की अपेक्षा की गई हो, इन्कार करेगा, तो कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।

**23. निरीक्षकों की प्रक्रिया.—**(1) जहां कोई निरीक्षक इस अध्याय के अधीन किसी औषधि या प्रसाधन सामग्री का नमूना लेता है वहां वह उसकी उचित कीमत निविदत्त करेगा, और उसके लिए लिखित अभिस्वीकृति अपेक्षित कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन निविदत्त कीमत लेने से इन्कार किया जाता है, या जहां कोई निरीक्षक धारा 22 के खण्ड (ग) के अधीन किसी औषधि या प्रसाधन सामग्री के स्टॉक को अभिगृहीत करता है वहां वह उसके लिए विहित प्ररूप में पावती का निविदान करेगा।

(3) जहां कोई निरीक्षक किसी औषधि या प्रसाधन सामग्री का नमूना, परख या विश्लेषण के लिए लेता है वहां वह ऐसे प्रयोजन की विहित प्ररूप में लिखकर उस व्यक्ति को प्रज्ञापना देगा, जिससे उसको लेता है और ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में, जब तक कि वह जानबूझकर स्वयं अनुपस्थित नहीं हो जाता, उस नमूने को चार प्रभागों में विभक्त करेगा और उन्हें प्रभावी रूप से मुहरबन्द और उपयुक्त रूप से चिन्हित करेगा और ऐसे मुहरबंद और चिन्हित सब या किन्हीं प्रभागों पर ऐसे व्यक्ति को अपनी मुहर और चिन्ह लगाने देगा;

परंतु जहां नमूना उस परिसर से लिया जाता है, जहां औषधि या प्रसाधन सामग्री विनिर्मित की जा रही है, वहां नमूने को केवल तीन प्रभागों में विभक्त करना आवश्यक होगा,

परन्तु यह और कि जहां औषधि या प्रसाधन सामग्री छोटे आकार के पात्रों में बनाई गई है, वहां पूर्वोक्त रूप से नमूने को विभक्त करने की बजाय निरीक्षक उक्त पात्रों में से, यथास्थिति, तीन या चार को समुचित रूपेण चिन्हित करके और जहां आवश्यक हो वहां मुहरबंद करके ले सकेगा और यदि वह औषधि या प्रसाधन सामग्री ऐसी है कि उच्छन्न रहने से उसके क्षय होने या अन्यथा खराब हो जाने की संभाव्यता है, तो लेगा।

(4) निरीक्षक ऐसे विभक्त किए गए नमूने का, यथास्थिति, एक प्रभाग या एक पात्र उस व्यक्ति को लौटाएगा जिससे वह उसको लेता है, और अवशेष को प्रतिघृत रखेगा, और उसका व्ययन निम्नलिखित रूप में करेगा, अर्थात्—

(i) एक प्रभाग या पात्र को तुरन्त सरकारी विश्लेषक को परख या विश्लेषण के लिए भेजेगा,

(ii) दूसरे को वह उस न्यायालय में पेश करेगा, जिसके समक्ष उस औषधि या प्रसाधन सामग्री के बारे में कार्यवाहियां, यदि कोई हों, संस्थित की गई हैं, और

(iii) तीसरे को, जहां कि वह लिया गया हो, उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, भेजेगा जिसका नाम, पता और अन्य विशिष्टियां धारा 18 क के अधीन प्रकट की गई हैं।

(5) जहां कोई निरीक्षक धारा 22 खण्ड (ग) के अधीन कोई कार्रवाई करता है, वहां

(क) वह यह अभिनिश्चित करने के लिए पूरी शीघ्रता से कार्रवाई करेगा कि वह औषधि या प्रसाधन सामग्री धारा 18 के उपबन्धों में से किसी का उल्लंघन करती है या नहीं और यदि वह अभिनिश्चित हो गया है कि वह औषधि या प्रसाधन सामग्री ऐसा उल्लंघन नहीं करती है तो उक्त खण्ड के अधीन पारित आदेश को तुरन्त प्रतिसंहत करेगा, या, यथास्थिति ऐसे अभिगृहीत स्टाफ की वापसी के लिए ऐसी कार्रवाई करेगा जैसी आवश्यक हो,

(ख) यदि वह औषधि या प्रसाधन सामग्री के स्टॉक का अभिग्रहण करता है तो वह यथाशक्त शीघ्रता से न्यायिक मजिस्ट्रेट को उसकी इतिला देगा और उसकी अभिरक्षा के सम्बन्ध में उसके आदेश लेगा।

(ग) किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि यदि अभिकथित उल्लंघन ऐसा है कि त्रुटि का उपचार औषधि या प्रसाधन सामग्री के कब्जाधारी द्वारा किया जा सकता है तो वह अपना यह समाधान हो जाने पर कि त्रुटि का वैसा उपचार किया जा चुका है, उक्त खण्ड के अधीन अपने आदेश का तुरन्त प्रतिसंहरण करेगा।

(6) जहां कोई निरीक्षक धारा 22 की उपधारा (1) के खंड (गग) के अधीन किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या किसी अन्य भौतिकी पदार्थ का अभिग्रहण करता है वहां वह यथाशक्त शीघ्रता से न्यायिक मजिस्ट्रेट को उसकी इतिला देगा और उसकी अभिरक्षा के सम्बन्ध में उसके आदेश लेगा।

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

BILL NO. 20 OF 2016.

**THE DRUGS AND COSMETICS (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT)  
BILL, 2016**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

**THE DRUGS AND COSMETICS (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT)  
BILL, 2016**

**ARRANGEMENT OF CLAUSES**

*Clauses :*

1. Short title.
2. Insertion of new section 19A.
3. Amendment of section 22.
4. Amendment of section 23.
5. Insertion of section 36AF.

**THE DRUGS AND COSMETICS (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT)  
BILL, 2016**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940),  
in its application to the State of Himachal Pradesh.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the  
Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Drugs and Cosmetics (Himachal Pradesh Amendment) Act, 2016. Short title.

5           2. After section 19 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (hereinafter referred to as the “principal Act”), the following new section shall be inserted, namely :— Insertion of new section 19A.

10           “19A. Burden of proof.—When any drug or cosmetic is seized from any person in the reasonable belief that such drug or cosmetic is being manufactured for sale or for distribution, or sell, or stocked, or exhibited, or offered for sale, or distributed in contravention of the provisions of section 18, the burden of proving that such drug or cosmetic is not manufactured for sale or for distribution, or sell, or stocked, or exhibited, or offered for sale or distributed in  
15           contravention of section 18 shall be on the person from whose possession such drug or cosmetic was seized.”

3. In section 22 of the principal Act, in sub-section (1), after clause (d), the following new clause shall be inserted, namely :— Amendment of section 22.

20           “(e) Wherever he considers necessary, seal any premises wherein any drug or cosmetic is being manufactured, sold, or stocked or exhibited or offered for sale, or distributed in contravention of the provisions of section 18.”

Amendment  
of section 23.

4. In section 23 of the principal Act, in sub-section (5), after clause (c), the following new clause shall be inserted, namely :—

“(d) if he seals any premises, he shall as soon as may be, inform the Judicial Magistrate having jurisdiction.”.

Insertion of  
section  
36AF.

5. After section 36AE of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely :—

5

“36AF. Offences to be cognizable and non-bailable.—(1) Every offence relating to clause (c) of section 18 and punishable under sub-clause (ii) of clause (b) of section 27 shall be cognizable and non-bailable.

10

(2) Any police officer in uniform not below the rank of Assistant Sub-Inspector of Police may arrest without warrant any person against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received of his having been concerned in any of the offences relating to section 18 (c) and punishable under sub-clause (ii) of clause (b) of section 27 :

15

Provided that such police officer may take assistance of the Drug Inspector, as he may considers necessary.”.

10

12

20

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Drug menace is a social evil and burning issue before the country and the State which is causing deep concern among the society as a whole and also the State Government. Use of Drugs by youth is resulting in increase in crime and also spoiling their future. For sometime past, the State Government has taken steps to keep a check over increasing use of drugs and also to reduce drug abuse to the minimum possible. From the past record, it is observed that in case of sale of intoxicants many persons not holding licence as required under section 18 (c) of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 have been booked for its contravention. Since, as on date the contravention of section 18 (c) is non-cognizable and bailable, Officers of Drug Control Administration are facing difficulty in arresting the culprits and to hold them for further investigation. If the contravention under section 18 (c) is made cognizable and non-bailable offence by virtue of State amendment and the police officers are empowered to arrest the offender without warrant with the assistance of Drug Inspector, as considered necessary, then such unscrupulous elements cannot escape the technicalities under the said Act. This will help avoiding medicines to reach the un-licensed hands which is only misused. This will not only help in curbing the menace of intoxicants but will also put rein to quacks and un-authenticated shops operating without license. Further, Drug Inspector is being empowered to seal the premises where drugs or cosmetics are sold in contravention of section 18 of the Act. As on date, the burden of proof lies on the prosecution and culprit takes advantage in the court if local witnesses turn hostile. Thus, in order to make the provisions of the Act more stringent, it has been decided to insert new provisions to place the burden of proof on the person from whose possession such drug is seized, thereby the culprit will not be in a position to take advantage of the technicalities and can be brought to book more efficiently.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(KAUL SINGH THAKUR)  
*Minister-in-Charge.*

SHIMLA :

Date : The ....., 2016.

---

## FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

---

## MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—



**THE DRUGS AND COSMETICS (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT)  
BILL, 2016**

A

BILL

*further to amend the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), in its application  
to the State of Himachal Pradesh.*

**(KAUL SINGH THAKUR)**  
*Minister-in-Charge.*

---

**(DR. BALDEV SINGH)**  
*Principal Secretary (Law).*

SHIMLA :

Date : The ....., 2016.

**EXTRACT OF THE PROVISIONS OF THE DRUGS AND COSMETICS ACT,  
1940 (23 OF 1940) LIKELY TO BE AFFECTED BY THIS AMENDMENT BILL**

**Sections :**

**22. Powers of Inspectors.**—(1) Subject to the provisions of section 23 and of any rules made by the Central Government in this behalf, an Inspector may, within the local limits of the area for which he is appointed,—

(a) Inspect,—

- (i) any premises wherein any drug or cosmetic is being manufactured and the means employed for standardizing and testing the drug or cosmetic;
- (ii) any premises wherein any drug or cosmetic is being sold, or stocked or exhibited or offered for sale, or distributed;

(b) take samples of any drug or cosmetic,—

- (i) which is being manufactured or being sold or is stocked or exhibited or offered for sale, or is being distributed;
- (ii) from any person who is in the course of conveying, delivering or preparing to deliver such drug or cosmetic to a purchaser or a consignee;

(c) at all reasonable times, with such assistance, if any, as he considers necessary,—

- (i) search any person, who, he has reason to believe, has secreted about his person, any drug or cosmetic in respect of which an offence under this Chapter has been committed; or
- (ii) enter and search any place in which he has reason to believe that an offence under this Chapter has been, or is being, committed; or
- (iii) stop and search any vehicle, vessel or other conveyance which, he has reason to believe, is being used for carrying any drug or cosmetic in respect of which an offence under this Chapter has been, or is being, committed,

and order in writing the person in possession of the drug or cosmetic in respect of which the offence has been, or is being, committed, not to dispose of any stock of such drug or cosmetic for a specified period not exceeding twenty days, or, unless the alleged offence is such that the defect may be removed by the possessor of the drug or cosmetic, seize the stock of such drug or cosmetic and any substance or article by means of which the offence has been, or is being, committed or which may be employed for the commission of such offence;

(cc) examine any record, register, document or any other material object found with any person, or in any place, vehicle, vessel or other conveyance referred to in clause (c), and seize the same if he has reason to believe that it may furnish evidence of the commission of an offence punishable under this Act or the rules made thereunder;

(cca) require any person to produce any record, register, or other document relating to the manufacture for sale or for distribution, stocking, exhibition for sale, offer for sale or distribution of any drug or cosmetic in respect of which he has reason to believe that an offence under this Chapter has been, or is being, committed;

(d) exercise such other powers as may be necessary for carrying out the purposes of this Chapter or any rules made thereunder.

(2) The provision of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) shall, so far as may be, apply to any search or seizure under this Chapter as they apply to any search or seizure made under the authority of a warrant issued under section 94 of the said Code.

(2A) Every record, register or other document seized under clause (cc) or produced under clause (cca) shall be returned to the person, from whom they were seized or who produce the same, within a period of twenty days of the date of such seizure or production, as the case may be, after copies thereof or extracts therefrom certified by that person, in such manner as may be prescribed, have been taken.

(3) If any person willfully obstructs an Inspector in the exercise of the powers conferred upon him by or under this Chapter, or refuses to produce any record, register or other document when so required under clause (cca) of sub-section (1), he shall be punishable with imprisonment which may extend to three years, or with fine, or with both.

**23. Procedure of Inspectors.**—(1) Where an Inspector takes any sample of a drug (or cosmetic) under this Chapter, he shall tender the fair price thereof and may required a written acknowledgment therefor.

(2) Where the price tendered under sub-section (1) is refused, or where the Inspector seizes the stock of any drug or cosmetic under clause (c) of section 22, he shall tender a receipt therefor in the prescribed form.

(3) Where an Inspector takes a sample of a drug or cosmetic for the purpose of test or analysis, he shall intimate such purpose in writing in the prescribed form to the person from whom he takes it and, in the presence of such person unless he willfully absents himself, shall divide the sample into four portions and effectively seal and suitably mark the same and permit such person to add his own seal and mark to all or any of the portions so sealed and marked :

Provided that where the sample is taken from premises whereon the drug or cosmetic is being manufactured, it shall be necessary to divide the sample into three portions only :

Provided further that where the drug or cosmetic is made up in containers of small volume, instead of dividing a sample as aforesaid, the Inspector may, and if the drug or cosmetic be such that it is likely to deteriorate or be otherwise damaged by exposure shall, take three or four, as the case may be, of the said containers after suitably marking the same and, where necessary, sealing them.

(4) The Inspector shall restore one portion of a sample so divided or one container, as the case may be, to the person from whom he takes it, and shall retain the remainder and dispose of the same as follows :—

- (i) one portion or container he shall forthwith send to the Government Analyst for test or analysis;
- (ii) the second he shall produce to the Court before which proceeding, if any, are instituted in respect of the drug or cosmetic.
- (iii) The third, where taken, he shall send to the person, if any, whose name, address and other particulars have been disclosed under section 18A.

(5) Where an Inspector takes any action under clause (c) of section 22,—

- (a) He shall use all dispatch in ascertaining where or not the drug or cosmetic contravenes any of the provisions of the section 18 and, if it is ascertained that the drug or cosmetic does not so contravene, forthwith revoke the order passed under the said clause or, as the case may be, take such action as may be necessary for the return of the stock seized.
- (b) If he seizes the stock of the drug or cosmetic, he shall as soon as may be, inform a Judicial Magistrate and take his orders as to the custody thereof;
- (c) Without prejudice to the institution of any prosecution, if the alleged contravention be such that the defect may be remedied by the possessor of the drug or cosmetic, he shall, on being satisfied that the defect has been so remedied, forthwith revoke his order under the said clause.

(6) Where an Inspector seizes any record, register, document or any other material object under clause (cc) of sub-section (1) of section 22, he shall, as soon as may be, inform a Judicial Magistrate and take his orders as to the custody thereof.